

कार्यालय अंचल अधिकारी, हेहल, राँची।

विषय :- विविध

विविध वाद सं० ०११ / २०१७-१८

अंचल- हेहल, राँची।

२०-१-१७

आवेदक राजु कुमार सिंह, पिता- स्व० नरसिंह नारायण सिंह, ग्राम- सुमीत भवन नगरा टोली, थाना- लोअर बाजार, राँची ने निम्नलिखित भूमि पर विवाद को निष्पादन करने हेतु अनुरोध किये है। आवेदन के साथ इन्होंने न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर, राँची वाद सं० M11/02 धारा 145 द०प्र०स० दायर वाद वाद का छायाप्रति संलग्न किये है। रा०कर्म० ने प्रतिवेदन किये है कि दुसरे पक्ष को नोटिस देकर सबुती कागजात की मांग किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष- राजु लाल शर्मा पे० स्व० अनिरुद्ध शर्मा सा० सुखदेवनगर, जिला- राँची को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक २९-१-१७ को रखे।

लेखापित / संशोधित

अंचल अधिकारी
हेहल, राँची।

अंचल अधिकारी
हेहल, राँची।

२४-१-१७

अभिलेख उपस्थित। नोटिस जारी के प्रलम्बत नही होने के कारण यह नोटिस निर्गत। परंतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ०९-२-१७ को रखे।

लेखापित / संशोधित

अ. अ.

अ. अ.

९-२-१७

अभिलेख उपस्थित। दोनो पक्ष उपस्थित होने सुनिश्चित नही है।
- XII राँची के वाद सं. 128 / 2009 धारा आपरा पारित है जो अभिलेख के फल स्वरुप है। आवेदक द्वारा उक्त वाद के आपरा के विषय अभी तक अपील वापस नही किया है।

उक्त वाद की कागज कावर्ड बन्य नही गयी है। अभिलेख

यदि दो पक्ष उपस्थित नही अपील वापस कर सकते है।

लेखापित / संशोधित

अ. अ.

अ. अ.